

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(7)(5)पंचा/रानिआ/12/ 2948

जयपुर, दिनांक: 18/2/15

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत),
चुरू।

विषय:- पंचायत आम चुनाव 2015 के अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के संलग्न दस्तावेजों की नकलें जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2551 दिनांक 7.2.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपने अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की नकलें दिये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है।

निवेदन है कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53 एवं 53-ए के अनुसार नाम निर्देशन पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज प्रतिबन्धित दस्तावेज नहीं है। आयोग के पूर्व पत्र दिनांक 23.2.1995, 8.1.2000 एवं 23.1.2015 द्वारा भी इस बाबत सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट किया जा चुका है।

उक्त पत्र दिनांक 23.2.1995 एवं 8.1.2000 आयोग द्वारा "पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन (Compendium of Instructions)" 2015 के पृष्ठ संख्या 227 एवं 228 पर उपलब्ध है तथा पत्र दिनांक 23.1.2015 की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों में आवेदकों द्वारा आयोग के पत्रांक 955 दिनांक 2.2.1995 के अनुसार प्रयोजन स्पष्ट किया जाना अपेक्षित नहीं है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार.

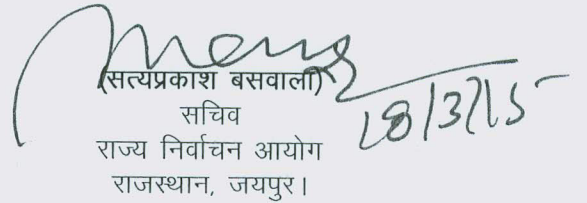

(सत्यप्रकाश बसवाला)

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.7(7)(5)पंचा/रानिआ/12/ 2949

जयपुर, दिनांक: 18/3/15

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (चुरू को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/ 1043

जयपुर, दिनांक: 23.1.15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत),
राजस्थान।

विषय:- पंचायत आम चुनाव, 2015- नाम निर्देशन पत्रों की प्रमाणित प्रति देने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभिन्न जिलों से इस बाबत दूरभाष पर जानकारी चाही जा रही है कि, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्रों एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। क्या इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा सकती हैं ? इस संबंध में कुछ जिलों से यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि, उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र के पैकिट जिला कोषागार कार्यालयों में जमा करा दिये गये हैं।

इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में स्थिति स्पष्ट करते हुए पत्र एवं परिपत्र जारी किये गये हैं। जिनका अवलोकन "पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन" 2015 पुस्तिका के आईटम नं. 76, 77, 79 एवं 80 (पृष्ठ संख्या 221-222, 223, 227 एवं 228) पर किया जा सकता है। आयोग के पत्र क्रमांक एफ. 4(2)(1)पं/नपा/रानिआ/94/61 दिनांक 9.4.2010 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि, किन दस्तावेजों के लिफाफे सील करने योग्य है। साथ ही आयोग के पत्र क्रमांक एफ. 4(2)(1)पं/नपा/रानिआ/94/61 दिनांक 9.4.2010 में यह अंकित है कि, पंच/सरपंच चुनाव तथा जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित नाम निर्देशन पत्र, मतगणना एजेंट/मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के फॉर्म एवं परिणाम पत्र प्रतिबन्धित रिकार्ड नहीं है। अतः उक्त दस्तावेजों के लिफाफों को खोला जा सकता है और इनकी नकलें नियमानुसार जारी की जा सकती है।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि, निर्वाचन से संबंधित समस्त दस्तावेज जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेंगे। इन दस्तावेजों को जिला कोषागार में रखे जाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए उनको बार-बार निकालना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता। अतः इन्हें जिला कोषागार में नहीं रख कर, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की सुरक्षित अभिरक्षा में ही रखा जावे।

पंच/सरपंच आदि के नाम निर्देशन पत्र के अवलोकन या उनकी प्रमाणित प्रतियाँ सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाहे जाने पर उनका नियमानुसार अवलोकन कराया जा सकता है और प्रमाणित प्रतियाँ चाहे जाने पर उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। इसके संबंध में आयोग के विस्तृत निर्देश पैरा 2 में अंकित पत्रों में दिये गये हैं। सुलभ संदर्भ हेतु इन पत्रों की प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव 23/1/15